न्यायालय–विशेष न्यायाधीश, गैंगेस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–05, रायबरेली।

1– बब्बन सिंह उर्फ धीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व० शमशेर सिंह
निवासी ग्राम नथईपुर थाना भदोखर जिला रायबरेली

–––––––प्रार्थी/अभियुक्त,

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फैजदारी रायबरेली।

–––––– विपक्षी/अभियोगी।

केश नं०–108ए/2012
मु०सं०–549/2008
धारा–2/3 उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप(निवारंण) अधिनियम
थाना–ड़ीह, जिला–रायबरेली।

प्रार्थी/अभियुक्त बब्बन सिंह उर्फ धीरेन्द्र सिंह की ओर से मुकदमा अपराध सं०–549/2008, अन्तर्गत धारा– 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारंण) अधिनियम, थाना–ड़ीह, जिला–रायबरेली के मामले में यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में वर्णित कथनों के आधार पर यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त सर्वथा निर्दोष है जिसे झूठा व रंजिशन फंसा दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का वाद चार्ज हेतु नियत था। प्रार्थी/अभियुक्त की पत्रावली हाई कोर्ट लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ से ट्रान्सफर होकर रायबरेली न्यायालय दिनाँक 14.5.12 को आयी तथा 28.6.12 को हाजिरी हेतु नियत हुई एवं प्रार्थी/अभियुक्त की हाजिरी माफी स्वीकृत की गयी तथा न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश पारित हुआ, जिसकी जानकारी प्रार्थी/अभियुक्त को नहीं हुयी। दिनाँक 13.09.2015 को प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध एन०बी०डब्लू० जारी हो गया तथा अन्य अभियुक्तगणों का चार्ज बना था। प्रार्थी/अभियुक्त की पत्रावली प्रथक कर दी गयी जिसकी जानकारी प्रार्थी/अभियुक्त को नहीं थी। जब प्रार्थी/अभियुक्त के घर थाना भदोखर की पुलिस द्वारा दबिस दी गयी तब प्रार्थी/अभियुक्त अपना दूसरा अधिवक्ता नियुक्त कर पत्रावली का मुआयना करवाया तो जानकारी हुयी। जानकारी होने पर प्रार्थी/अभियुक्त ने श्रीमान जी के समक्ष आत्म समर्पण किया। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा गलती जानबूझकर नहीं की गयी है जो भी गल्ती हुयी है क्षमा

होने योग्य है। प्रार्थी/अभियुक्त भविष्य में गलती नहीं करेगा, वह जमानत का पात्र है। प्रार्थी/अभियुक्त वारेन्ट पर दिनाँक 14.12.2015 से जिला कारागार रायबरेली में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा समाज में कोई आतंक नहीं व्याप्त है, केवल राजनैतिक द्वेष भाव से फंसा दिया गया है। वह जमानत का पात्र है। प्रार्थी/अभियुक्त मजदूरी पेशा वाला व्यक्ति है, जिसके छोटे–छोटे बच्चे हैं। परिवार का भरण पोषंण मजदूरी से करता है। प्रार्थी/अभियुक्त के जेल में रहने से बच्चे भूखों मर जायेंगे। प्रार्थी/अभियुक्त हाई कोर्ट लखनऊ मण्डल लखनऊ के दिनाँक 17.08.2009 के आदेशानुसार 50–50 हजार की पूर्व जमानत पर है। प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत प्रार्थनापत्र इसके अतिरिक्त अन्य किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो दिया है न विचाराधीन है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी स्थानीय एवं विश्वसनीय जमानतें देने को तैयार है तथा जमानत पर रिहा होने के बाद प्रत्येक पेशी पर हाजिर अदालत आता रहेगा तथा भविष्य में जमानतों का दुरूपयोग नहीं करेगा।

अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रार्थना की गयी है कि उक्त मामले में प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत धनराशि सुनिश्चित कर जमानत पर रिहा किया जाये।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक फौजदारी के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये कथन किया गया है कि बब्बन सिंह उर्फ धीरेन्द्र सिंह अ०सं०–549/08 धारा 2/3 उ०प्र० गि०ब० एवं स०वि०क्रि०(निवारण)अधि०, फौ० वाद सं०–108A/12 थाना ड़ीह के अभियोग में गैर जमानतीय वारण्ट जारी था जिसके निरस्त होने पर दि० 14/12/2015 से न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक अभिरक्षा में है। जमानत का विरोध किया जाता है।

मैंने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से पता चलता है कि पत्रावली शासन की विज्ञप्ति संख्या 1944/7–न्याय–2 2011–701/86 लखनऊ दिनाँकित 6–2–2012 एवं मा० उच्च न्यायालय के प्रपत्र संख्या–2234/मेन–बी/एडमिन(ए–3) इलाहाबाद दिनांकित 13.02.2012 के द्वारा प्रत्येक जिले में उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विराधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के न्यायालय का सृजन हो जाने पर धारा 7(2) उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अधीन प्रत्येक मामले की सुनवाई व विचारण का क्षेत्राधिकार सम्बन्धित जनपद के गैंगेस्टर न्यायालय में होने के कारंण दिनाँक 14.05.2012 के आदेश से ट्रान्सफर होकर गैंगेस्टर न्यायालय रायबरेली में दिनाँक 28.06.2012 नियत कर अन्तरित की गयी है। दिनाँक 28.06.2012 को अभियुक्त बब्बन सिंह की हाजिरी माफी न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गयी। दिनाँक 13.09.2012 को अभियुक्त बब्बन की अनुपस्थिति के कारंण बब्बन का बन्धपत्र निरस्त करते हुये उनके विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट निर्गत करने का आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात न्यायालय द्वारा दिनाँक 27.09.2012, 02.11.2012,

07.12.2012 की तिथियाँ नियत होने के पश्चात भी अभियुक्त बब्बन के उपस्थित न आने पर दिनाँक 09.01.2013 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त बब्बन के बन्धपत्र व जमानतनामें निरस्त करते हुये अभियुक्त बब्बन की पत्रावली अलग करने हेतु आदेश पारित किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त काफी समय से अनुपस्थित चल रहे हैं। अभियुक्त बब्बन की अनुपस्थित के कारंण न्यायिक कार्य बाधित हुआ तथा अन्य अभियुक्तों की पत्रावली अलग करनी पड़ी है। अभियुक्त दिनाँक 14.12.2015 से न्यायिक अभिरक्षा में है। न्यायालय की राय में यदि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया गया तो उसके पुनः फरार/अनुपस्थित होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय की राय में न्यायहित में इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र में कोई विधिक बल नहीं है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त बब्बन सिंह उर्फ धीरेन्द्र सिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वाद उपरोक्त में प्रार्थी/अभियुक्त बब्बन सिंह उर्फ धीरेन्द्र सिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(विजेश कुमार)
विशेष न्यायाधीश, गैंगेस्टर एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–05,
रायबरेली।
दि०–16–12–2015